श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2012 को आहुत आपूर्त्ति संबंधी मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- यथा उपस्थिति पंजी

1. **खाद्यान्न उठाव/वितरण:-** खाद्यान्न उठाव/वितरण की समीक्षा के क्रम में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि भारतीय खाद्य निगम डिपो, मुंगेर में खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण विगत तीन माह से खाद्यान्न का उठाव नहीं हो पाया। फरवरी-12 में आधा रैक गेहूँ FCI में आया था, जिसके विरूद्ध फरवरी में अन्त्योदय का खाद्यान्न का उठाव किया गया। गेहूँ की उपलब्ध मात्रा के अनुरूप मार्च-12 में भी मात्र अन्त्योदय का ही गेहूँ एवं चावल दिया जा सकता है। यह भी बताया गया कि FCI में चावल पर्याप्त मात्र में उपलब्ध है।

   अतएव सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मार्च-12 माह में अन्त्योदय लाभुकों के लिए गेहूँ एवं चावल दोनो का उठाव एवं वितरण किया जाए तथा बी0पी0एल0 लाभुकों का मात्र चावल का ही वितरण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बी0पी0एल0 लाभुकों से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा मात्र चावल का ही कूपन प्राप्त किया जाए।

2. **SMS के माध्यम से सूचना:–** SMS delivery हेतु एक website का निर्माण शीघ्र किया जायेगा जिसमें आपूर्त्ति कार्यालय/अनुमंडल कार्यालय/राज्य खाद्य निगम के Dtat Entry Operator द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन जो अभी लिखित रूप में प्राप्त होता है, की डाटा इन्ट्री बेवसाईट में की जायेगी। बेवसाईट में जिलान्तर्गत कार्यरत सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं, राज्य खाद्य निगम के गोदाम एवं किरासन तेल थोक विक्रेताओं का भी विवरणी रहेगा जिसे प्रत्येक माह आपूर्त्ति कार्यालय द्वारा अद्यतन किया जायेगा। दैनिक प्रतिवेदन Software में डाटा इन्ट्री करने के उपरांत बेवसाईट से स्वतः संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ सम्बद्ध उपभोक्ताओं में से कुछ चुनिंदा उपभोक्ता एवं निगरानी समिति के सदस्यों को उठाव की मात्रा एवं विवरणी संबंधी SMS चला जायेगा।

   सभी सहायक गोदाम प्रबन्धक एवं सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि खाद्यान्न/किरासन तेल का दैनिक उठाव प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिदिन उपलब्ध करायेगें। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी प्राप्त दैनिक उठाव प्रतिवेदन को अगले दिन सुबह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से Upload कराना सुनिश्चित करेगें।

3. **उपयोगिता प्रमाण-पत्र:-** इस कार्यालय के पत्रांक 176 दिनांक 29.02.2012 द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी से वर्ष 2011-12 में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की मांग विहित प्रपत्र की गई थी जो अबतक अप्राप्त है।

   सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक एवं सभी सहायक गोदाम प्रबन्धक को निदेश दिया गया कि वे संयुक्त हस्ताक्षर से वांछित उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्रखंडवार एवं माहवार एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेगें एवं अनुमंडल पदाधिकारी अपने मन्तव्य के साथ जिला आपूर्त्ति कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायेगें।

4. **CWJ/MJC:-** लंबित CWJ/MJC के समीक्षा की गई। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित CWJ/MJC में प्राथमिकता के आधार पर तथ्य विवरणी तैयार कर शपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित करें। जिन मामलों में शपथ पत्र दायर हो चुका है, उसका शपथ (oath) नं0 एवं दिनांक शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें ताकि विभाग को सूचितकिया जा सके। जिन वादों में निर्णय प्राप्त हो गया हो, उस निर्णय की प्रति भी उपलब्ध कराया जाए।

5. <u>अन्नपूर्णा योजनाः-</u> गत मासिक समीक्षात्मक बैठक (दिनांक 10.01.2012) में सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया था कि वे अन्नापूर्णा योजनान्तर्गत अवशेष बचे खाद्यान्न की सूचना जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि अन्नापूर्णा योजनान्तर्गत अवशेष खाद्यान्न की सूचना प्राप्त हो चुका है।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया कि वे उक्त प्राप्त प्रतिवेदन की संकलित कर जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि विभाग से मार्गदर्शल प्राप्त किया जा सकें।

6. <u>**भंडार निर्गमादेश (S.I.O.):-**</u> जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में S.I.O. कम्प्यूटर से निर्गत किया जाना है, जिसके लिए 06 प्रखंडों से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की सूची प्राप्त हो चुका है।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया कि तत्काल किसी एक प्रखंड का S.I.O. कम्प्यूटर से निर्गत किया जाए। जिन प्रखंडों से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की सूची प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हे स्मारित किया जाए।

7. **अन्यान्यः**-सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि जिस जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का ड्राफ्ट जमा नहीं किया गया है, वैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से चार दिनों के अन्दर ड्राफ्ट जमा कराना सुनिश्चित करें।

किसी भी परिस्थिति में बैक लॉग खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाए। लंबित राशि का समायोजन अगले माह के आवंटन में करने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/- 20/03/12

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 254 /जि0आ0 दिनांक 21.03.2012

प्रतिलिपिः-सभी अनुमंडल पदाधिकारी,/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मुंगेर/डीपो प्रभारी, भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर/सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः-क्षेत्र प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 20/03/12

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 254 /जि0आ0दिनांक 21.03.2012

प्रतिलिपिः-प्रबन्ध निदेशक बिहार राज्य खाद्य निगम सोन भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः-आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (N.I.C.) मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 20/03/12

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।